

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली, जिला टोंक राज0

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशाल संख्या:- 98/2016

निर्णय दिनांक :-22.02.2021

उनवानी दावा :

सज्जन सिंह पुत्र छगन सिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राज0

- वादी-

बनाम

1. भंवरसिंह पुत्र बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. महावीर सिंह पुत्र बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. नारायण सिंह पुत्र बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. हेमेन्द्र सिंह पुत्र बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. भंवर कंवर पुत्री बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. लक्ष्मण कंवर पुत्री बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. मानकंवर पुत्री बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राज0
8. समदकंवर बेवा बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राज0
9. बहादुर सिंह पुत्र मगन सिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राज0
10. गोपाल सिंह पुत्र मगन सिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राज0
11. भंवर सिंह पुत्र मगन सिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राज0
12. लाड कंवर पुत्री मगन सिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राज0
13. सदा कंवर पुत्री मगन सिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राज0
14. मंजू कंवर पुत्री मगन सिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राज0
15. तहसीलदार जी देवली जिला टोंक राज0

- प्रतिवादीगण -

उपस्थिति :-

श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता वादी

एकपक्षीय कार्यवाही विरुद्ध
प्रतिवादी संख्या 1ता 14

वाद विभाजन आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। निर्णय इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक 22.05.2017 राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट हिसामपुरा में उपखण्ड अधिकारी, देवली द्वारा बाद बहस पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में कुर्रजात रिपोर्ट तहसीलदार देवली से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। कुर्रजात रिपोर्ट को अधिवक्ता वादी से अवलोकन करवाया गया। अधिवक्ता वादी की प्रार्थना रही कि कुर्रजात रिपोर्ट सही है और मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री पारित कर दी जावें।

अधिवक्ता वादी की बहस में कुर्रजात रिपोर्ट पर सहमति को मध्यनजर रखते हुये कुर्रजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देवली द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार


Di. Dan

तैयार किये गये हैं। अतः प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री आदेश एतद् द्वारा पारित किया जाता है कि जमाबंदी सम्वत 2069-72 वाके ग्राम हिसामपुर तहसील देवली के खाता संख्या 187 में दर्ज कुल किता 2 कुल रकबा 1.35 है, दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के हिस्से की भूमि में उपयोग-उपभोग में मजामहत व बाधा उत्पन्न नहीं करे। तहसीलदार देवली की कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	लगान
1	भंवरसिंह पुत्र बजरंग सिंह हि0 2/9 महावीर सिंह नारायण सिंह हेमेन्द्र सिंह पुत्र बजरंग सिंह भवर कंवर मानकंवर लक्ष्मण कंवर पुत्रियां समद कंवर पत्नी बजरंग सिंह हि0 7/9 कौम राजपूत नक्शा ट्रेस में नीले बॉल पेपर के रंग से दर्शित	486	0.16	0.38
		1228 / 809	0.51	2.04
	योग	किता-2	0.67	2.42
	सज्जन सिंह पुत्र छगन सिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शित	1227 / 486	0.16	0.39
		809	0.52	2.08
	योग	किता-2	0.68	2.47

संलग्न तहसीलदार देवली द्वारा कुर्रैजात रिपोर्ट के साथ पेश नक्शा ट्रेस। तहसीलदार देवली उक्तानुसार पालना हेतु निर्णय व अन्तिम डिक्री की प्रमाणित प्रति प्रेषित हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्दाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम

देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक

उनवानी दावा :-

उनवानी दावा :

सज्जन सिंह पुत्र छगन सिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राज0

- वादी-

बनाम

1. भंवरसिंह पुत्र बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. महावीर सिंह पुत्र बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. नारायण सिंह पुत्र बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. हेमेन्द्र सिंह पुत्र बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. भंवर कंवर पुत्री बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. लक्ष्मण कंवर पुत्री बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. मानकंवर पुत्री बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राज0
8. समदकंवर बेवा बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राज0
9. बहादुर सिंह पुत्र मगन सिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राज0
10. गोपाल सिंह पुत्र मगन सिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राज0
11. भंवर सिंह पुत्र मगन सिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राज0
12. लाड कंवर पुत्री मगन सिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राज0
13. सदा कंवर पुत्री मगन सिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राज0
14. मंजू कंवर पुत्री मगन सिंह जाति राजपूत निवासी हिसामपुर तहसील देवली जिला टोंक राज0
15. तहसीलदार जी देवली जिला टोंक राज0

- प्रतिवादीगण -

वाद विभाजन आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 98 सन् 2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री आलोक शर्मा अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व एकपक्षीय डिक्री दी जाती है कि

आदेश

जमाबंदी सम्वत 2069-72 वाके ग्राम हिसामपुर तहसील देवली के खाता संख्या 187 में दर्ज कुल किता 2 कुल रकबा 1.35 है0, दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के हिस्से की भूमि में उपयोग-उपभोग में मजामहत व बाधा उत्पन्न नहीं करे। तहसीलदार देवली की कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार है:-

D. D.

सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	लगान
	भंवरसिंह पुत्र बजरंग सिंह हि0 2/9	486	0.16	0.38
	महावीर सिंह नारायण सिंह हेमेन्द्र सिंह पुत्र बजरंग सिंह भवर कंवर मानकंवर लक्ष्मण कंवर पुत्रियां समद कंवर पत्नी बजरंग सिंह हि0 7/9 कौम राजपूत नक्शा ट्रेस में नीले बॉल पेपर के रंग से दर्शित	1228 / 809	0.51	2.04
	योग	किता-2	0.67	2.42
	सज्जन सिंह पुत्र छगन सिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शित	1227 / 486	0.16	0.39
		809	0.52	2.08
	योग	किता-2	0.68	2.47

संलग्न तहसीलदार देवली द्वारा कुर्रैजात रिपोर्ट के साथ पेश नक्शा ट्रेस।

निजी.....मुवलिक.....बाबत्
खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 02 सन् 2021 को जारी किया गया।

दस्तख्त *D. D. D.*

मुहर

ओहदा *जयराय हुक्मनामा अधिकारी देवली (टीक)*

मुददर्ई	रु.	पै.	मुददायलह	रु.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।